

धन-कर

1957 के अधिनियम 27 की धारा 17 का संशोधन। **93.** धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 17 की उपधारा (1) में, "तीस दिन से अन्यून" शब्दों का लोप किया जाएगा और 1 अप्रैल, 1989 से लोप किया गया समझा जाएगा।

50

दान-कर

1958 के अधिनियम 18 की धारा 16 का संशोधन। **94.** दान-कर अधिनियम, 1958 की धारा 16 की उपधारा (1) में, "तीस दिन से अन्यून" शब्दों का लोप किया जाएगा और 1 अप्रैल, 1989 से लोप किया गया समझा जाएगा।